राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 204/2021

बीरबल पुत्र पूर्णमल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 05 पथवारी कुआं सिंधाना तहसील बुहाना।

.........वादी

बनाम

राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं राजस्थान।

.........प्रतिवादी

<u>दावा–धोषणात्मक</u>

वांदी की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह कि वाके ग्राम सिंधाना स्थित गत खसरा नम्बर 936 मी0 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 937 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी हकपूर्वाधिकारी सुखदेवा, बालू,हिरा पुत्रान भाना हि0 तीन आना ब.हि. बराबर, परसा पुत्र सेडू हि. एक आना संवत 2012 से अर्थात कदमी से कास्त से कास्त करते आ रहे है। इस प्रकार सुखदेवा, बालू, हीरा तथा परसा उसके बाद उनके वारिसायान उसी समय से कदमी से लगातर बहैसियत खातेदार काबिज कास्तकार चल आ रहे है।

2. यह कि पैमाईस के दौरान भूमि गत खसरा नम्बर 936, खसरा नम्बर 937 के नये खसरा नम्बर 330 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 331 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 333 रकबा 0.09 है. निर्मित हुए है। वाद ग्रस्त भूमि का वाद पत्र सलंग्न है।
3. यह कि ग्राम सिंधाना से ग्राम ढाणा अलग होकर राजस्व नया ग्राम बनने पर गत खसरा नम्बर 330 से नया खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है.,व खसरा नम्बर 331 से नयां खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है., तथा खसरा नम्बर 333 का नया खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. निर्मित हुए है। मिलान क्षेत्रफल सलंग्न है।
4. यह कि भूमि खसरा नम्बर 936 मी. रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 937 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा का आधुनिक मैट्रिक प्रणाली से हिसाब से क्षेत्रफल तीना खसरा नम्बरो का 0.56 है. ही बनता है इस प्रकार रकबा पुरा एवं मिलान खाता है।
5. यह कि हाल खसरा नम्बर 40[illegible] रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में मु0 बनाव[illegible] रामनिवास पुत्र परसा हि. [illegible] मु. जीवली बेवा हेमाराम, 1/3, नोरंग पुत्र पुत्र बनवारी, [illegible] हेमाराम पु0 [illegible] हि. 2/9, कौम माली सा.देह बुद्वराम पुत्र हेमाराम हि. 1/9, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला–झुंझुनूं (राज.)

उपकृषक कास्तकार सं. 2062 से 2065 तक दर्ज रहे है। इस पूर्व वादी के हकपूर्वाधिकारी सुखदेवा, बालू, हीरा पु0 भाना, परसा पु0 सेडू खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड रहे है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि में सन् 1947 के पश्चात कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज हो गई। जिसमें उपकृषक वादी के हकपूर्वाधिकारी सुखदेवा, बालू पु. भाना, परसा पु0 सेडू दर्ज रिकार्ड रहे है। उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि को सदैव से ही खातेदार कास्तकार रहे है।राजस्थान सरकार ने कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज जरिये नामान्तकरण 11.09.2008 से सिवायचक (पूर्ववास विभाग से स्थानान्तरित) स्वीकार हुआं है। जिसके बाबत विवरण हाल जमाबंदी सं. 2062–65 में दर्ज है। जबकि उक्त प्रश्नगत भूमि पर सदैव से ही वादी व उससे पहले वादी के हकपूर्वाधिकारी काबिज कास्त चले आ रहे है।

6. यह कि भूमि जमाबंदी सं. 1999 से ही पूर्व इस भूमि पर काबिज कास्त चले आ रहे है। वादी के हकपूर्वाधिकारी इस भूमि का मुआवजा सं. 2009 से पूर्व से अदा करते आ रहे है।

7. यह कि वादी वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. हिस्से पर ही काबिज कास्त व मकानात बनाकर आबाद है। जिसके विघुत कनेक्शन भी ले रखा है। वादी का इतना ही हिस्स आता है। इस प्रकार उक्त वाद वर्णित भूमि पर कुल रकबा 0.22 है. ही वादी के हिस्से में आता है।

8. यह कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 403, 405, 406 में कुछ भाग पर मकान आदि बनाकर आबाद है । जिस पर विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन ले रखा है। वादी वादग्रस्त भूमि पर सं. 2012 से पूर्व सेही कब्जे कास्त है।

9. यह कि उप सचिव राजस्व विभाग राज. सरकार प्रपत्र क्रमांक फा./प. (15) राजस्थान/ पुर्नवास/ 2009दिनांक 30.03.2012 के अनुसार प्रति बिधा नियमितिकरण शुल्क व शास्ति भुगतान करने के लिए वादी तैयार है।

10. यह कि वादी का कब्जा सं. 2009 से पहले का है इस बाबत जमाबंदी, खसरा गिरदावरी तथा विद्युतकनेक्शन आदि सलंग्न है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) वाके ग्राम सिंधाना स्थित हाल जमाबंदी सं. 2075–78 खाता 1 के खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. मे से रकबा 0.04 है. का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाद वर्णित भूमि खाता 1 के खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. का वादी नाम दर्ज कर खाता वादी के नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई।
नायब तहसीलदार सिंधाना जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. यह कि वाके ग्राम सिंधाना स्थित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. , खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. ,खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. भूमि जमाबंदी सं. 2075–78 ग्राम सिंधाना के खाता संख्या 1 (2 वर्ष से 5 वर्ष परत) राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है।

2. वाके ग्राम सिंधाना स्थित गत खसरा नम्बर 936 मी0 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 937 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी हकपूर्वाधिकारी सुखदेवा, बालू, हिरा पुत्रान भाना हि0 तीन आना ब.हि. बराबर, परसा पुत्र सेडू हि. एक आना संवत 2012 से अर्थात कदमी से कास्त से कास्त करते आ रहे है। इस प्रकार सुखदेवा, बालू, हीरा तथा परसा उसके बाद उनके वारिसायान उसी समय से कदमी से लगातर बहैसियत खातेदार काबिज कांस्तकार चल आ रहें है।

3. यह कि पैमाईस के दौरान भूमिगत खसरा नम्बर 936, खसरा नम्बर 937 के नये खसरा नम्बर 330 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 331 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 333 रकबा 0.09 है. निर्मित हुए ।

4. यह कि ग्राम सिंधाना से ग्राम ढाणा अलग होकर राजस्व नया ग्राम बनने पर गत खसरा नम्बर 330 से नया खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है.,व खसरा नम्बर 331 से नया खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है., तथा खसरा नम्बर 333 का नया खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. निर्मित हुए है।

5. यह कि वादी वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. हिस्से पर ही काबिज कास्त व मकानात बनाकर आबाद है। जिसके विघुत कनेक्शन भी ले रखा है। वादी का इतना ही हिस्सा आता है। इस प्रकार उक्त वाद वर्णित भूमि पर कुल रकबा 0.22 है. ही वादी के हिस्से में आता है।

6- यह है कि वर्तमान में बिन्दू संख्या 5 दर्ज भूमि पर वादी का का कब्जाकास्त है तथा पूर्व में भी वादी के पूर्वाधिकारी उपकृषक दर्ज रिकार्ड रहें है। नजरी नक्शा सलंग्न है। विवादित भूमि पूर्व [illegible] विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। [illegible] है। वाद वर्णित भूमि किस्म जिस पर वादी व उनके पूर्वजों के कब्जे [illegible] प्रथम है जो वादी को वर्तमान में क्रमशः चाही [illegible] बारानी [illegible] बटवरा किया हुआं है। नियमन खातेदारी भूमि मानकर पैतृक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] जिला-झुंझुनूं (राज.)

कमेटी के पक्ष प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। वादी वर्ष 2012 से का कब्जा पुराना है। दावा डिक्री किया जावे।

वादी की ओर से वादपत्र के साथ राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2, मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श –3, नकल जमाबंदी सं. 2012 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं. 2019–22 प्रदर्श– 5, नकल जमाबंदी सं. 2024–27 प्रदर्श– 6, नकल जमाबंदी सं. 2031–38 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं. 2043 प्रदर्श– 8, नकल जमाबंदी सं. 2046–49 प्रदर्श– 9, नकल जमाबंदी सं. 2050–53 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सं. 2062–65 प्रदर्श– 11, नकल जमाबंदी सं.2058–61 प्रदर्श– 12, नकल जमाबंदी सं. 2058–61प्रदर्श– 13, नकल जमाबंदी सं. 2066–69 प्रदर्श– 14, नकल गिरदावरी सं. 2013 से 2016 प्रदर्श– 15, नकल गिरदावरी सं. 2020 से 2023 प्रदर्श– 16, नकल गिरदावरी सं. 2024 से 2027 प्रदर्श –17, नकल गिरदावरी सं. 2028 से 2031 प्रदर्श– 18, नकल गिरदावरी सं. 2044 से 2047 प्रदर्श– 19, 20, 21, नकल गिरदावरी सं. 2044 से 2047 प्रदर्श–22, 23, नकल गिरदावरी सं. 2050 से 2053 प्रदर्श– 24, 25, नकल गिरदावरी सं. 2048 से 2050 प्रदर्श – 26, 27, 28, फोटोप्रति आधार कार्ड (बीबरल) प्रदर्श– 29, विद्युत बिजली बिल (चार) प्रदर्श क्रमशः – 30, 31, 32, 33, फोटोप्रति इकरारनामा (हरकेवलसिंह, नौरंगलाल) प्रदर्श– 34, 35 पेश किये गये है।

प्रकरण तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व (ग्रुप –10 पुनर्वास) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 1. (15) राज/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 के अनुसार गणना रिपोर्ट गई। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि का नियमितिकरण शुल्क ग्राम सिंधाना की वर्तमान डीएलसी दर 910886/– प्रति हैक्यटर मय शास्ति देय है। इस प्रकार खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है. की राशि 14802 /– रूपये, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है. की राशि 5693 /– रूपये, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. की राशि 4558 /–रूपये कुल राशि 25053 /– रूपये निर्धारित की गई जिसमें शास्ति भूमि सम्मलित है। राशि निर्धारित मद 0029–00–800–06–00 (अप्राधिकृत अभिधारण का नियमन) जमा करवाने हेतु वादी को लिखा गया। वादी द्वारा उक्त नियमतिकरण शुल्क /शास्ति राशि चालान संख्या 01 दिनांक 28.04.2022 के राशि 25053/–रूपयें दिनांक 28.04.2022 को बैक में जमा करवाकर चालान की प्रति पेश की है।

बहस सुनी गई। तहसीलदार बुहाना/नायब तहसीलदार सिंधाना को सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष [illegible] है। (1). वाके ग्राम सिंधाना साबिक तहसील खेतडी हाल [illegible] में अब्दुल लतीफ खां पुत्र समद खां पठान के साथ [illegible] हीरा [illegible] भाना हि. तीन आना बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

बराबर, परमा पुत्र सेडू हि. 1 आना सा. देह राजस्व रिकार्ड है। (2) राजस्थान सरकार मंत्रीमण्डल की आज्ञा 69 दिनांक 22.05.2008 के परिमाणा स्वरूप राजस्व विभाग के मुख्यत दो काम आये जिसमें से एक सम्वत निष्क्रान्त भूमि जिसका नियमन/आंवटन अभी तक नही करना, दुसरा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2006 से पूर्व लाभों का निष्क्रान्त कृषि भूमि का निरस्त किये गये की निर्णय से जारी प्रपत्र क्रमांक एफ—1 (15) राजस्व / पुर्नवास /2009/अनुसार सिवायचक धोषित की गई। जिसमें उक्त वर्णित में कस्डोडियन विभाग के साथ जमाबंदी सं. 2065—69 तक सुखदेवा, बाबु, हीरा पुत्र भाना हि. तीन आना बहिस्सा बराबर, परमा पुत्र सेडू हि. 1 आना सा. देह व उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। (3) कब्जा काश्त के सम्बन्ध में गिरदावरी सम्वत् 2012—13, गिरदावरी सम्वत् 2014—17, गिरदावरी सम्वत् 2038—41, गिरदावरी सम्वत् 2051—54, पेश की है। जिसमें लगातार राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम लागु होने से पहले से ही साबिक खातेदार वादी का निर्बाध, शान्तिपूर्वक, कब्जा काश्त होना साबित व प्रमाणित है। लगान रसीद, बिजली का कनेक्शन, सभी वादी का कब्जा काश्त होना साबित करते है। वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 को नायब तहसीलदार सिंधाना से ली गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 के अनुसार वाद वर्णित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। बिजली का कनेक्शन ले रखा है। **(4).** वस्तुतः देश विभाजन पर नागरिको का प्रत्यावर्तन व पुनर्वास हुआ। भारत से पाकिस्तान गए नागरिको की भूमि अवाप्त हो गई। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की पाकिस्तान में आवाप्त भूमि के बदले में यहा भूमि आंवटित कर दी गई। जिसका रिकॉर्ड आजादी से लेकर उनके नाम दर्ज हो रखा। प्रस्तुतः समस्तः दस्तावेजो से उनका कब्जा काश्त सांबित होता है। लगान बकाया नहीं है। साबिक भूमि में से इकरारनामा से बेचान किए गए है। लेकिन वादी के नाम न्यायालय के निर्णय, होने के उपरान्त ही अमल मे लाये जावेगी। हाल सैटलमेंट द्वारा बिना किसी निर्णय डिक्री आदेश/सुनवाई के कस्टोडियन दर्ज कर दिया गया। ओर बाद में सिवायचक दर्ज कर दी गई। (5) खातेदार अब्दुल लतीफ खां पुत्र समर खां पठान जब भारत—पाकिस्तान का बंटवारा हुआं तब भारत छोडकर चले गये। उस समय सुखदेवा, बाबु, हीरा पुत्र भाना हि. तीन आना बहिस्सा बराबर, परमा पुत्र सेडू हि. 1 आना सा. देह माली अब्दुल लतीफ के साथ साथ जमाबंदी में दर्ज रिर्काड था। साबिक रिकार्ड वादी के पूर्वाजो का नाम उपकृषक के रूप में नाम चला आ रहा था। इसलिए उसी रोज से वादी इस वादग्रस्त भूमि के मालिक खातेदार काश्तकार बन चुके थे। (6) परन्तु वादी द्वारा नियमानुसार उस समय नियमन राशि अदा नही करने से खातेदार अधिकार नही दिये गये। वादी की खातेदारी साबित व प्रमाणित है। (7) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ—1 (15) राजस्व / पुर्नवास[illegible]/जयपुर दिनांक 30.03.2012 के पैर संख्या 3 अनुसार ऐसी निष्क्रन्त भूमि जिनमें राशि [illegible]ान राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। कब्जा जमाबंदी [illegible] 2012 [illegible] से साबित होता है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ[illegible] (15) राजस्व [illegible]र्नवास /2009/जयपुर दिनांक 30.03.2012 के पैर संख्या 5 [illegible] व्यक्ति, जिन्होने इस परिपत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
[illegible] जिला-झुंझुनूं (राज.)

उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदार से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरार नामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो, उन्हे संक्षम न्यायालय से स्वामित्व /कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा, निर्णय के पश्चात बिन्दू संख्या 3 के अनुसार नियमतिकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किए जा सकेंगे "इसलिए उक्त प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष जाने योग्य नही है। नियमों के तहत राशि जमा कर करवाई गई है। प्रकरण विशुद्व रूप से नियमन कर नामान्तकरण दर्ज करने का है। वादी ने अपने वादपत्र को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अंतः राजस्व (ग्रुप–10/पुनर्वास) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–1 (15) राजस्व / पुर्नवास /2009/जयपुर दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में वादी द्वारा सं. 2012 से जमाबंदी/खसरा गिरदावरी व रिपोर्ट नायबत तहसीलदार सिंधाना से प्राप्त रिपोर्ट व वादी द्वारा चालान संख्या 01 दिनांक 2804.2022 के द्वारा राशि 25053/– रूपये जमा कराये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अनुसार नियमतिकरण कर वाके ग्राम सिंधाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 406 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. का प्रदर्श – अ (नक्शा ट्रेस) अनुसार वादी को खातेदार कास्तकार धोषित किया जाकर नियमितिकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस "(प्रदर्श–अ)" निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में अमल/ तरमीम (प्रदर्श–3 के अनुसार) किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल/तरमीम करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 09-05-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

न्यायालीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 204 / 2021
निर्णय दिनांक:– 09.05.2022

बीरबल **बनाम** राजस्थान सरकार

दावा घोषणात्मक

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **09.05.2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" **न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः राजस्व (ग्रुप–10 / पुनर्वास) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–1 (15) राजस्व / पुर्नवास / 2009 / जयपुर दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में वादी द्वारा सं. 2012 से जमाबंदी / खसरा गिरदावरी व रिपोर्ट नायबत तहसीलदार सिंघाना से प्राप्त रिपोर्ट व वादी द्वारा चालान संख्या 01 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा राशि 25053 / – रूपये जमा कराये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अनुसार नियमतिकरण कर वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 0.34 है. में से रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 है. में से रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 408 रकबा 0.09 है. में से रकबा 0.04 है. का प्रदर्श – अ (नक्शा ट्रेस) अनुसार वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर नियमितिकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस "(प्रदर्श–अ)" निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में अमल / तरमीम (प्रदर्श–3 के अनुसार) किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल / तरमीम करे। "**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09.05.2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बुहाना